



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक-2145/12-1,

दिनांक: मसूरी, 27-11-2019।

सेवा में,

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

विषय:-

जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कदूखाल मोटर मार्ग के किमी 0 35 से घेना तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-3.325किमी) के निर्माण हेतु 2.0825 है 0 वन भूमि का नैर वानिकी कार्यो हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2 को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (आनलाईन प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/23941//2017

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की फाईल सं0 8बी/यू.सी.पी./06/63/2019/एफ.सी./1498 दिनांक 09-11-2019 एवं आपका ई0डी0एस0 दिनांक 21-11-2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2 नई टिहरी द्वारा अपने पत्र सं0 1157/पी0-सिं.ख.-2/Forest दिनांक 8-11-2019 (प्रति संलग्न) जो अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सम्बोधित तथा प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित है के द्वारा विषयांकित वन भूमि के आनलाईन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा इंगित ई0डी0एस0 आपत्तियों का निराकरण करते हुए संगत दस्तावेज की स्कैन प्रति दिनांक 8-11-2019 तथा आनलाईन प्रस्ताव दि0 21-11-2019 को इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावक/ पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्तर से ऑनलाईन एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना /अभिलेखों के आधार पर विषयांकित वन भूमि का ऑनलाईन प्रस्ताव का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	Objection of RO	आपत्तियों का निराकरण
1.	State Government may submit the plantation scheme of 4000 trees in lieu of 04 ha out of CA area is falling in MDF. Location and map of the area may also be submitted in original.	प्रस्तावक/पी0एम0जी0एस0वाई0 के द्वारा अपने पत्र सं01157/पी0-सिं.ख.-2/forest दि0 8-11-2019 में उल्लेख किया है कि plantation scheme of 4000 trees in lieu of 04 ha out of CA area is submitted and uploaded in additional information. Location map of the area submitted in original already. प्रभाग स्तर से 4000 पेड़ों की plantation scheme को ऑनलाईन Form A, Part II के Additional information Details में यथास्थान अपलोड कर संगत दस्तावेज की हार्ड प्रति संलग्न है।
2.	State Government may submit the original. copy of the CA scheme of Rs. 1160640/-	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना रू0 1160640.00 की मूल प्रति ऑनलाईन Form A, Part II के Additional information Details में यथास्थान अपलोड कर संगत दस्तावेज की हार्ड प्रति संलग्न है।
3.	प्रस्ताव में यह पाया गया कि ग्राम 'घेना' की स्थिति एवं उपलब्ध road network को प्रस्तावित मार्ग की KML file पर अंकित नहीं किया गया है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग का end point घने वन क्षेत्र में दर्शाया गया है जो मान्य नहीं है। अतः राज्य सरकार इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक/पी0एम0जी0एस0वाई0 के द्वारा अपने उक्त पत्र में बिन्दु सं0 3 के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि ग्राम घेना की स्थिति एवं उपलब्ध रोड नेटवर्क को KML file पर अंकित किया गया है। एवं प्रस्तावित मार्ग का End point घने वन क्षेत्र में न होकर घेना गांव में है। KML फाईल को CD में तैयार कर नोडल कार्यालय में प्रेषित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न-उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 2145 / दिनांकित।

प्रतिलिपि - अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र के कम में भारत सरकार द्वारा इगित आनलाईन आपत्तियों के कम में वांछित सूचना / अभिलेख की हार्ड / स्कैन प्रति सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2 नई टिहरी को उनके पत्र सं0 1157 / पी0-सिं.ख.-2 / forest दि0 8-11-2019 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सलान-उक्तानुसार।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0-2
नई टिहरी

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक:- 1157

/पी0-सि0ख0-2/ 10/11/19

सेवा में,



विषय :-

दिनांक- 8 / 11 / 2019

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमालडा-कदुखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 हेC वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।
(FP/UK/ROAD/23941/2017)

सन्दर्भ :-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड का पत्रांक- 1498 (FP/UK/ROAD/23941/2017)
दिनांक 09.10.2019

महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर ऑनलाईन आपत्तियां लगाई गयी थी।

जिनका निस्तानण कर आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् है-

S.N	Querries	Decantation
1	State government may submit the plantation scheme of 4000 trees in lieu of 04 ha out of CA area is falling in MDF. Location and map of the area may also be submitted in original.	Plantation scheme of 4000 trees in lieu 04 ha out of CA area is submitted and uploaded in additional information. Location map of the area submitted in original already.
2	State government may submit the original copy of the CA scheme of RS 1160640.	The CA scheme of RS. 1160640.00 is not found in our proposal the original copy of scheme RS.- 1158962.00 is uploaded in additional information.
3	प्रस्ताव में यह पाया गया कि घेना की स्थिति एवं उपलब्ध रोड नेटवर्क को प्रस्तावित मार्ग की KML फाईल पर अंकित किया गया है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग का End point घने वन क्षेत्र में दर्शाया गया है, जो मान्य नहीं है। अतः राज्य सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।	ग्राम घेना की स्थिति एवं उपलब्ध रोड नेटवर्क को KML फाईल पर अंकित कर दिया गया है। एवं प्रस्तावित मार्ग का End point घने वन क्षेत्र में न होकर घेना गांव में है। KML फाईल को CD में तैयार कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

~~सूचना~~

मसूरी वन प्रभाग
प्राप्ति संख्या 3802
प.सूची संख्या 12-11/11/19
दिनांक 10/11/19
प्रमाणित किया गया

पत्रांक:-
प्रतिलिपि-

- /पी0-सि0ख0-2/
तददिनांक।
1. प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागी वनाधिकारी, मुनि की रेती वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2
नई टिहरी

अधिशाली अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2
नई टिहरी



कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0-2
नई टिहरी

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eeprngsytehr12@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक- 1157/पी0-सिं0ख0-2/ J000000

दिनांक- 8/11/2019

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कददुखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।
(FP/UK/ROAD/23941/2017)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड का पत्रांक- 1498 (FP/UK/ROAD/23941/2017)
दिनांक 09.10.2019

महोदय

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत करना है कि आपके द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर ऑनलाईन आपत्तियां लगाई गयी थी।
जिनका निस्तानण कर आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् है-

S.N	Querries	Decantation
1	State government may submit the plantation scheme of 4000 trees in lieu of 04 ha out of CA area is falling in MDF. Location and map of the area may also be submitted in original.	Plantation scheme of 4000 trees in lieu 04 ha out of CA area is submitted and uploaded in additional information. Location map of the area submitted in original already.
2	State government may submit the original copy of the CA scheme of RS 1160640.	The CA scheme of RS. 1160640.00 is not found in our proposal the original copy of scheme RS.- 1158962.00 is uploaded in additional information.
3	प्रस्ताव में यह पाया गया कि घेना की स्थिति एवं उपलब्ध रोड नेटवर्क को प्रस्तावित मार्ग की KML फाईल पर अंकित किया गया है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग का End point घने वन क्षेत्र में दर्शाया गया है, जो मान्य नहीं है। अतः राज्य सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।	ग्राम घेना की स्थिति एवं उपलब्ध रोड नेटवर्क को KML फाईल पर अंकित कर दिया गया है। एवं प्रस्तावित मार्ग का End point घने वन क्षेत्र में न होकर घेना गांव में है। KML फाईल को CD में तैयार कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

शेल्डन : CD-01 न०

अधिशारी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंवाई खण्ड-2

नई टिहरी

पत्रांक:-
प्रतिलिपि-

/पी0-सिं0ख0-2/
तददिनांक।

1. प्रमाणीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमाणी वनाधिकारी, मुनि की रेती वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशारी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंवाई खण्ड-2

नई टिहरी

कार्य का नाम:-जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकासखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायपुर कुमाल्डा कददूखाल के कि०मी० 35.00 से घेना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.0825 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल का नाम:- ग्राम घेना **रिविल**
रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या 1000 पौध प्रति० हे०

प्रस्तावित वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(हे० मी)- 4.00
का घनत्व.....0.3

रायपुर रेंज-मसूरी वन प्रभाग वर्ष 2019-20.

क्र०सं०	कार्य विवरण	ईकाई/सं०	मात्रा	ईकाई दर	घनराशि
1	सर्वे सीमांकन	प्रति हे०	4	120	480.00
2	क्षेत्र की सफाई(लैटाना झाड़ी कटान आदि)	प्रति हे०	4	3661	14644.00
3	अग्रिम दिवार बन्दी(फेन्सिंग) प्रति हे० 84 घ०मी० औसत/तारबाड़	प्रति घ०मी० हे०	336	316	106176.00
4	कट्टर फर कार्य(प्रति हे० 300 र.मी.) का खुदान	प्रति र.मी.	1200	10	12000.00
5	अग्रिम मृदा कार्य(0.30x0.30x0.45) गड्डा खुदान	प्रति गड्डा	4000	7.4	29600.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति हे०	4	485	1940.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	4000	5.93	23720.00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति हे०	4	489	1956.00
9	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य:- प्रति हे०/सं०	प्रति हे०	45	9150	411750.00
	योग प्रथम चरण				602266.00
	द्वितीय चरण				
1	गड्डा मरान कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्डा	4000	1.3	5200
2	कट्टर फरों में बीज दुआई(प्रति हे० 300र.मी.)	प्रति र०मी०	1200	0.8	960
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	4000	1.05	4200
4	पौध डुलान वाहन से 35 किमी०	प्र०सै०पौ०	4000	16	22400.0
5	पौध डुलान सिरबोझ 11 किमी०	प्र०सै०पौ०	4000	169	74360
	बैग पौधों का वाहन में लदाई-उतराई	प्र०सै०पौ०	4000	72	2880
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	4000	2.74	10960
7	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	4000	3	12000
8	खाद व दवा पर व्यय	प्र०सै०पौ०	4000	21	84000
9	देख रेख व रख रखव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 प्रति हे०	प्रति हे०	4	618.3	2473.2
10	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलन पदार्थों को हटाना	प्रति हे०	4	366	1464
11	सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर चार मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति हे०	4	277	1108
12	वृक्षारोपण से लाभवन्तित होने वाले अग्नि सुरक्षा, जागरुकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा उल्लेखीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ-प्रशिक्षण	ल०स०	4	577	2308
	ब- प्रोत्साहन	ल०स०	4	289	1156
13	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध डुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि कय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पौलीथीन सीट कय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटो ग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डोक्यूमेंटस	प्रति हे०	4	1327	5308
14	कट्टर खाईयों में घास रिल्प का रोपण डुलान सहित एवं चयनित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पुनरोत्पादित स्थानीय जैवविधता वृक्ष व झाड़ी प्रजातियों को संरक्षित रखने व रख-रखाव पर व्यय	प्रति हे०	4	883	3532
	योग द्वितीय चरण				234309.2
	कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण				836575.2

	तृतीय चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुशिक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 हे० आधार मानकर)	प्रति हे०	4	8244	32976	
2	वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	प्रति हे०	4	367	1468	
3	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्रति हे०	4	277	1108	
4	वृक्षारोपण से लाभवन्तित होने वाले अग्नि सुरक्षा, जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा उल्लेखीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना					
	अ-प्रशिक्षण	प्रति हे०	4	577	2308	
	ब-प्रोत्साहन	प्रति हे०	4	289	1156	
	योग तृतीय चरण	-		--	39016	
	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति हे०	4	9754	39016	
	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति हे०	4	9754	39016	
	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति हे०	4	9754	39016	
	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति हे०	4	9754	39016	
	रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति हे०	4	9754	39016	
	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति हे०	4	9754	39016	
	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति हे०	4	9754	39016	
	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति हे०	4	9754	39016	
	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति हे०	4	9754	39016	
	योग रखरखाव दशम वर्ष तक-			कुल योग-	351144	
					1226735.20	
					1226124.00	

1- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति हे०- 306531.00

2- प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल है०- 4.00 हे०

3- दोगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल धनराशि-4.00हे० X 306531.00= 1226124.00

eps.
gms-2
सह प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज.
मसूरी वन प्रभाग

प्रेम सिंह बिष्ट
वन दरोगा
रायपुर रेंज।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत रायपुर-कुमाल्हा-कदुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 2.0825 है० है, के हस्तान्तरण मामले में प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुने क्षेत्र 4.165 है० सिविल सोयम भूमि मौजा घेना का दिनांक 21/10/19 को स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा इस सम्पूर्ण क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र 4.165 है० में हरियाली का घनत्व 0.4 से कम है, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, जिसमें 1000 पौध प्रति है० वृक्षारोपण कार्य किया जा सकता है।


J. C.



सहायक अभियन्ता - वन्य
फोरमजरीएसोवार्ड, सिंघवा
नई टिहरी


उप प्रनागीय वनाधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी

Exammu Ram 07020
(धारमू राम वन रक्षक)
वाकल प्रथम वीर


(सिंघवा वन रक्षक)
क.प. 1
रायपुर रेंज
मसूरी


वन वनाधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग


उप प्रनागीय वनाधिकारी
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग

प्राक्कलन बावत रायपुर कुमालडा कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 35 से घेना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.165 है० वन भूमि के सापेक्ष परियोजना के आस-पास ग्राम घेना सिविल सोयम में क्षतिपूरक वनीकरण करना।

रायपुर रेंज-मसुरी वन प्रभाग वर्ष 2018-19.

उपरोक्त लोकेशन - 30° 22' 26.272" 78° 11' 23.173" 30° 22' 25.613" 78° 11' 58.65"

क्र०सं०	कार्य विवरण	ईकाई/सं०	ईकाई दर	धनराशि
1	सर्वे सीमांकन	प्रति है०	120.00	499.80
2	क्षेत्र की सफाई(झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	1578.00	6572.37
3	पत्थरों की कुलीवाल बनाना प्रति है० 84घ.मी.	प्रति घ.मी.	281.00	101809.26
4	कंटूर फर कार्य(प्रति है० 300 र.मी.)का खुदान	प्रति र.मी.	10.00	12495.00
5	अग्रिम मृदा कार्य (0.30x0.30x0.45) गड्डा खुदान	प्रति गड्डा	7.40	61642.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	485.00	2020.02
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	5.93	49396.90
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति है०	489.00	2036.68
9	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य	34 नग	9150.00	1098100.00
	योग प्रथम चरण			346272.03
	द्वितीय चरण			
1	गड्डा भरण कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्डा	1.30	10829.00
2	कंटूर फरों में बीज बुआई(प्रति है० 300र.मी.)	प्रति र०मी०	0.80	999.60
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	1.05	8746.50
4	पौध डुलान वाहन से 98 किमी०	प्र०सै०पौ०	16.00	130614.40
5	पौध डुलान सिरबोझ 12 किमी०	प्र०सै०पौ०	169.00	168932.40
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	2.74	22824.20
7	निरीई गुडाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	3.00	24990.00
8	खाद व दवा पर व्यय	प्र०सै०पौ०	21.00	1749.30
9	देख रेख व रख रखव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 प्रति है०	प्रति है०	618.30	23176.97
10	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलन पदार्थों को हटाना	प्रति है०	366.00	1528.55
11	सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर चार मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति है०	277.00	1153.70
12	वृक्षारोपण से लाभवन्तित होने वाले अग्नि सुरक्षा, जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा उल्लेखीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना अ-प्रशिक्षण ब- प्रोत्साहन	ल०स० ल०स०	577.00 289.00	2403.20 1203.68
13	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध डुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि क्रय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पौलीथीन सीट क्रय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटो ग्राफी फील्ड स्तरीय कार्य का प्रचार प्रसार एवं डोक्यूमेंटस	प्रति है०	1327.00	5526.95
14	कंटूर खाईयों में घास स्लिप का रोपण डुलान सहित एवं चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पुनरोत्पादित स्थानीय जैवविधता वृक्ष व झाड़ी प्रजातियों को संरक्षित रखने व रख-रखाव पर व्यय	प्रति है०	883.00	3677.69
	योग द्वितीय चरण	-	-	408356.14
	कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण	-	-	754628.17
	तृतीय चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्रति है०	8244.00	34336.26

2	वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	प्रति है0	367.00	1528.55
3	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्रति है0	277.00	1153.70
4	वृक्षारोपण से लाभवन्तित होने वाले अग्नि सुरक्षा, जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा उल्लेखीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना अ-प्रशिक्षण ब-प्रोत्साहन योग तृतीय चरण	प्रति है0 प्रति है0 —	577.00 289.00 —	2403.20 1203.85 40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है0	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है0	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है0	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है0	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है0	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त सातम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है0	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है0	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है0	9754.00	40625.41
	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष रख रखाव (उपरोक्तानुसार समस्त कार्य)	प्रति है0	9754.00	40625.41
		कुल योग—		1160882.27
		या—		1160639.72

या - 11,60,639.72

1160640/-

प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग

11.06.2022
1650
ज्योत्सना प्रियंका